न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 96 /2022

उनवान

1–2 छोटू लाल, जगदीश पुत्र मोहन नाई निवासी बच्छखड़ा तहसील शाहपुरा
3– श्रीमति कंचन पत्नी बालू नाई निवासी बच्छखेड़ा
4–7 महावीर, रतनी, रमेश, राजेश पिता बालू नाई निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

बनाम

1– श्रीमति प्रेम देवी पत्नी बन्ना जाट निवासी बच्छखेड़ा
2– बन्ना पुत्र नाथू जाट निवासी बच्छखेड़ा
3– किशनगोपाल पुत्र जगदीश जाट निवासी बच्छखेड़ा
4– श्रीमति संतोष देवी पत्नी जगदीश जाट निवासी बच्छखेड़ा
5– सूरजकरण पुत्र जगदीश जाट निवासी बच्छखेड़ा
6– पन्नालाल पुत्र रामनाथ जाट निवासी बच्छखेड़ा
7– श्रीमति लादी देवी पत्नी महावीर दास साधु निवासी बच्छखेड़ा
8– रामधन पुत्र सुखदेव गुर्जर निवासी बच्छखेड़ा
9– रामलीला पत्नी हेमराज गुर्जर निवासी बच्छखेड़ा
10– लाडदेवी पत्नी कैलाश खारोल निवासी बच्छखेड़ा
11– संज्या पुत्री कैलाश खारोल निवासी बच्छखेड़ा
12– सुनील पुत्र केलाश खारोल निवासी बच्छखेड़ा
13– गोपाल पुत्र घीसा खारोल निवासी बच्छखेड़ा
14– चन्ता देवी पत्नी जयलाल गुर्जर निवासी बच्छखेड़ा
15– रामप्रसाद पुत्र मोहन नाई निवासी बच्छखेड़ा

उपस्थिति :– श्री विनोद सनाढ्य
अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 07/06/2022

की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **बच्छखेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 3083 रकबा 0.16 है0, 3084 रकबा 0.16 है0, 3085 रकबा 0.03 है0** कुल किता **3** रकबा **0.35** हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के पड़ौसी है। एवं के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षी संख्या 1 लगायत10** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 11लगायत 15** के विरूद्ध अभिभाषक के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बच्छखेड़ा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगणो **के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बच्छखेड़ा** में स्थित की उपरोक्त की आराजीयात् किता **3 रकबा 0.35 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500 रूपये** कायम किये जाते है, जो से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **07/06/2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर